



F-07-08

F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O.,**  
**BENGALURU - 560 037.**

**वर्ग अनुमोदन सं. 1089 का संशोधन सहित नवीकरण**

**Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1089**

**विषय/Sub: ए डी एफ लूप एरियल, पार्ट सं. जे एम 708**

**ADF Loop Aerial, Part No. JM 708**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स वर्डेन्ट टेलिमेट्री एंड एंटीना सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, कोचिन - 682 013, केरला, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " ए डी एफ लूप एरियल " पार्ट सं. जेएम 708, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1089, दिनांक 07 जनवरी 2005, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1089 जारी किया गया था तदुपरान्त सेमिलैक/5070/टीए-1089/1आर, दिनांक 01 मार्च 2010 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2014 तक था।

*This is to state that the "ADF Loop Aerial", bearing the Part No. JM 708 designed, developed and manufactured by M/s. Verdant Telemetry & Antenna Systems Pvt. Ltd., Cochin - 682 013, Kerala was issued with Type Approval No. 1089 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1089, dated: 07<sup>th</sup> January 2005 and was subsequently renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1089/1R, dated: 01<sup>st</sup> March 2010 with validity up to 31<sup>st</sup> December 2014.*

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितम्बर 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 अगस्त 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), द्वारा एचएएल हैदराबाद प्रभाग, बालानगर - 500 042, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01<sup>st</sup> September 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> August 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), C/o HAL Hyderabad Division, Balanagar - 500 042 Three (3) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1089, दिनांक 07 जनवरी 2005 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 5 में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1089, Dated: 07<sup>th</sup> January 2005 is Amended as stated herewith.*

“ [अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]

*[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency].*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

*All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and are fully applicable.*

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1089/2R

दिनांक/Date : 01 Sep 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

*Ravin*  
26/8/2016  
29 Aug 2016

पी. जयपाल / P. JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)